



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1147/JH/5/2022-ESDW

दिनांक: 13.01.2023

सेवा में,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट,
जिला रामगढ़,
डीसी कार्यालय, छतर मांडू,
रामगढ़, झारखंड
ई-मेल: dc-ramgarh@gov.in

विषय: मांडू अंचल के बंजी गाँव में भूदान यज्ञ कार्यालय, हजारीबाग के द्वारा भूदान में दी गयी रकवा 2.85 एकड़ ज़मीन का भूदान लगान निर्धारण अभिलेख निर्गत जा कराने के संबंध में श्रीमति एतवारी देवी, पति स्व. बाबुराम मांडू, ग्राम व पोस्ट बंजी (करमटीया), थाना मांडू, जिला रामगढ़-825314 झारखंड का दिनांक 10.09.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्रीमति एतवारी देवी से दिनांक 10.09.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।


कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्रीमति एतवारी देवी,
पति स्व. बाबुराम मांडू,
ग्राम व पोस्ट बंजी (करमटीया),
थाना मांडू, जिला रामगढ़-825314,
झारखंड

566-67
जारी किया
ISSUED
%


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी